"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519] रायपुर, शनिवार, दिनांक 16 नवम्बर 2013—कार्तिक 25, शक 1935

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 7th November 2013

आदेश

क्रमांक 10381/3048/21-ब/छ. ग./13 .— छत्तीसगढ़ अनिवार्य विवाह पंजीयन नियम, 2006 के नियम-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर को मुख्य पंजीयक के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करता है.

F. No. 10381/3048/XXI-B/C. G./13 . — In exercise of the powers conferred by Rule-3 of the Chhattisgarh, Compulsory Registration of Marriages Rule, 2006, the State Government hereby, appoints Shri Umesh Kumar Katiya, Additional Secretary Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, Mantralaya, Raipur as Chief Registrar, from the date he assumes the charge of the office.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.